<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 28/05/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 27.05.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01.थाना जमानियाँ गाजीपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित/वारण्टी को किया गया गिरफ्तार</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी के तहत आज दिनांक 27.05.2025 को उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मा0 न्यायालय JM-6 गाजीपुर द्वारा जारी वारण्ट तामिला के क्रम में वारण्टी शशि भूषण पुत्र सिपाही को अभि0 के घर ग्राम मतसा से नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

<u>गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता–</u>

1.शशि भूषण पुत्र सिपाही निवासी मतसा थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उम्र करीब 55 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.दण्डवाद सं0 - 2785/15 धारा 323/324/506 भादवि थाना जमानिया गाजीपुर (मा0 न्यायालय न्यायालय JM-6 गाजीपुर)

<u>02.थाना कोतवाली , गाजीपुर पुलिस द्वारा जैनेन्द्र प्रताप उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 रामनाथ राम नि० ग्राम बवेड़ी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा अर्जित धन से बनाया गया भवन जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रूपये है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।</u>

शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 28.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गैंग सरगना जैनेन्द्र प्रताप उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 रामनाथ राम नि० ग्राम बवेड़ी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा अर्जित धन से निर्मित भवन जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रूपये है, जिसे आज दिनांक 20/05/2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त जैनेन्द्र प्रताप उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0

रामनाथ राम नि० ग्राम बवेड़ी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उपरोक्त द्वारा लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने, अपने तथा गैंग के अन्य सदस्यों के लिए आर्थिक,भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित अचल संपत्ति जो कि अपनी पत्नी सीमा राज के नाम से दो मंजिला मकान बनवाकर उसका उपयोग व उपभोग किया जा रहा है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

कुर्क किये गये भवन का विवरण–

जैनेन्द्र प्रताप उर्फ मुन्ना की पत्नी सीमा राज के नाम से मौजा मौजा छावनी लाईन, परगना व तहसील सदर जिला गाजीपुर के मुहल्ला तुलसीपुर में स्थित गाटा सं0 480 रकबा 0.354 जो नवीन परती के नाम से खतौनी में अंकित है उक्त आराजी में अभियुक्त द्वारा दबंगई पूर्वक अतिक्रमण कर भूमि 0.007 हे0 यानि 70 वर्गमी0 पर दो मंजिला नवनिर्मित पक्का मकान बनाकर उपयोग व उपभोग किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत रू0 35 लाख रूपये है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0- 639/2015 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सुहवल, गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0- 1122/2015 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सुहवल, गाजीपुर।
3. मु0अ0सं0 – 17/2022 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली, गाजीपुर।
4. मु0अ0सं0 187/2022 धारा धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली, गाजीपुर ।

03. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वाँछित / वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को उ0नि0 हरीश चन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मा0 न्या0 द्वारा जारी वारण्ट तामिला में वारण्टी गण 1.उफरान उर्फ गुफरान पुत्र इसमाईल उम्र-57 वर्ष निवासी कोट शहनिन्दा कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर 2. अनिल बिन्द पुत्र बेदन बिन्द उम्र-20 वर्ष निवासी परसा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को घर से गिरफ्तार किया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी गण का नाम व पता –

1.उफरान उर्फ गुफरान पुत्र इसमाईल उम्र-57 वर्ष निवासी कोट शहनिन्दा कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

2. अनिल बिन्द पुत्र बेदन बिन्द उम्र-20 वर्ष निवासी परसा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

04. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।"

दिनांक 27.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० -68/2018 धारा 498A, 304 B, भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त संजय चौहान पुत्र बालकिशुन चौहान को धारा 304 B भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 498 A भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 3 डीपी एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 4 डीपी एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

05. " श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।"

दिनांक 27.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० -105/2022 धारा 363,366,376,504,506 भादवि व 5/6 पाक्सों एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद जमालुद्दीन निवासी ग्राम दर्जिमाना मोहल्ला कटरा कुण्डीगढ़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 376 भादवि में दण्डित न करते हुए 5/6 पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व 25000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

06. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले वाँछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत में दिनांक 16.03.2025 को वादी श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 जयनरायन निवासी मुहल्ला शाहीपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर की नाबालिग पुत्री को दिनांक 15.03.2025 को घर से कही चले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना उक्त मुकदमे में धारा 87,64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया अपहृता की बरामदगी कर अभियुक्त आकाश कुमार बिन्द पुत्र संतलाल बिन्द उर्फ मुन्ना कुमार निवासी शाहीपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को दिनांक 27.05.2025 को टाउनहाल के पास से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1.आकाश कुमार बिन्द पुत्र संतलाल बिन्द उर्फ मुन्ना कुमार निवासी शाहीपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 179/2025 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर